तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/540/2006/जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>**एकल–पीठ**</u> **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री मुकेश जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण (2) श्री सतीश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थीगण <u>**निर्णय**</u> **दिनांकः 11–07–2018** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम उप जिला कलक्टर सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक16–1–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी 1 से 3 ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष इस आशय के साथ पेश की कि ग्राम नादरी में आराजी खसरा नंबर 242 रकबा 25–10–00 जो कि अपीलांट/अप्रार्थी के बुजुर्गान एवं गंगावक्ष पुत्र मोती के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी तथा उसी प्रकार से काना व गंगाबक्ष के नाम से पर्चा जारी किया जाकर जमाबनदी सैटलमेंट में इन्द्राज किये गये। उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा काना व 1/2 हिस्सा गंगावक्ष का था ,काना व गंगाबक्ष दोनो का स्वर्गवास हो चुका है किन्तु ग्राम पंचायत नादरी ने नामा0संख्या 39 दिनांक 12–12–1961 को तस्दीक कर दिया जबकि अप्रार्थी/अपीलांट का भी उक्त आराजी में आधा हिस्सा है इसलिए नाामा. संख्या 39 को खारिज किया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेंट के नाम आधी आधी आराजी दर्ज किये जाने की इश्तदुआ की। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र इस आशय के साथ पेश कि कि इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं इसी आराजी बावत इसी न्यायालय के समक्ष नियमित वाद विचाराधीन है इसलिए नियमित वाद विचाराधीन रहते हुए अलग से की जाने वाली नामा0 की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग चलने योग्य नही है, इसलिए नामा0 की अपील को नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जावे। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अपने निर्णय दिनांक 16–6–06 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/540/2006/जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3— दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का तर्क मुख्य तर्क यह है कि जब समान पक्षकारों के मध्य एवं समान आराजी बावत न्यायालय के समक्ष नियमित वाद विचाराधीन हो तो नामांतरकरण जैसी समरी प्रोसीडिंग को स्थगित किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि नियमित वाद के विचाराधीन होने से समरी प्रोसीडिंग को स्थगित कर देना चाहिए लेकिन विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नही देकर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा उन्होने यह भी बताया कि मानीय राजस्व मण्डल ने भी 1983 आरआरडी पेज 552 में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया है कि एक समान मेटर के लिये अलग अलग कोर्टस में अलग अलग प्रोसीडिग नही चलाई जा सकती हैं। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 16—1—2006 को निरस्त करने का निवेदन किया। 5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि निगरानीधीन निर्णय कानून सम्मत होकर उचित है जिसमें हस्तगत निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनका यहभी तर्क है कि प्रार्थी की ओर से जिन कानूनी नजीरो के उद्धरण प्रस्तुत किये है, वे हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होते है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। 6— दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक अप्रार्थी 1 से 3 ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष पेश कर नाामा. संख्या 39 को खारिज किये जाने की इश्तदुआ की। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी गणपत ने एक प्रार्थनापत्र इस आशय के साथ पेश कि कि इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं इसी आराजी बावत इसी न्यायालय के समक्ष नियमित वाद विचाराधीन है इसलिए नियमित वाद विचाराधीन रहते हुए अलग से की जाने वाली नामा0 की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 540 / 2006 / जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग चलने योग्य नही है। चूकि नियमित वाद 2001 में दायर किया गया है तथा नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील वर्ष 2005 में पेश की गयी है जो कि दावे के पश्चातवर्ती है। अभिभाषक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीर 1983 आरआरडी पेज 552 में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया है कि एक समान मेटर के लिये अलग अलग कोर्टस में अलग अलग प्रोसीडिग नही चलाई जा सकती हैं। उक्त कानूनी नजीर हस्तगत प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती है। परिणामस्वप निगरानीधीन निर्णय निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16—1—2006 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाल प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 15—12—2005 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/540/2006/जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/540/2006/जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित आराजी वादीगण की संयुक्त पैतृक आराजी होकर वादीगण अपने पिता एवं पितामह के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है। ।प्रतिवादीगण विवादित आराजी को रहन बय व मुंतकिल करने के लिए धमकी दे रहे है। अतः प्रतिवादीगण व्दारा निष्पादित फर्जी व बनावटी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में जो अमल दरामद कराया है उसे निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दावा वादी डिक्री किया जावे। दौराने दावा वादीगण व्दारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का है लेकिन प्रतिवादीगण अपना कब्जा बता रहे है । इसलिए मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय व्दारा मंगवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20–6–14 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी के ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी । 4– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से बताया कि प्रार्थी व्दारा परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर वास्तविक भौतिक रुप से कब्जा वादीगण का है लेकिन प्रतिवादीगण व्दारा कब्जा काश्त अपनी बताई जा रही है इसलिए मौके की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय व्दारा मंगवाई जावे ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके एवं न्यायालय को निर्णय करने में मदद मिल सके। लेकिन परीक्षण न्यायालय ने इसे गलत आधार लेकर खारिज कर दिया जबकि उन्हे विवादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिए थी लेकिन उनके व्दारा प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियो को समझे बिना व गलत अर्थ लगाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निवेदन किया कि निगरानी एडमिट कर स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 20–6–14 की पालना ताफैसला निगरानी स्थगित रखते हुए प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही ता फैसला निगरानी स्थगित किया जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंबद किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। 6– हमने प्रार्थी के विव्दान अधिवक्ता की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाद उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर मौके पर वास्तविक कब्जा किसका है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मंगाने हेतु निवेदन किया। दौराने वाद मौका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/540/2006/जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट मंगाये जाने से साक्ष्य का निर्माण होगा। मौका रिपोर्ट पूर्व प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि हेतु तो मंगायी जा सकती है ,किन्तु साक्ष्य निर्माण करने के लिए यह उचित नहीं है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–6–2014 उचित है, जिसमें हम कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरुप हस्तगत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज करना उचित समझते है। 7– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुंत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निर्णित करते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी. एस. गर्ग)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी／एलआर／540／2006／जयपुर** **गणपत बनाम कजोड**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए